संख्या-39/2026/001-311-24-1-2026-51-2023

प्रेषक,

संजय शुक्ला,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-292/अधि0नि0(वित्त)/विप्र-2/आय-व्ययक/2026-27/471, दिनांक 12 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 2801-05-190-06-20 में रिवैम्प्ड योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 6500,00,00,000/- (रूपये छः हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) में से प्रथम त्रैमास हेतु रू 1625,00,00,000/-(रूपये एक हजार छःसौ पच्चीस करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अप्रैल, मई तथा जून, 2026 में क्रमशः रू0 600 करोड़ , 600 करोड़ एवं 425 करोड़ की मासिक किस्तों में किया जाएगा।

(2) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

(3) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) द्वितीय किश्त के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(7) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगें।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसका व्यावर्तन किसी अन्य मद हेतु नहीं किया जायेगा।

(9) प्रत्येक क़िस्त का आहरण माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

(10) प्रत्येक किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही अगली क़िस्त के आहरण की अनुमति दी जायेगी तथा वर्षांत पर सम्पूर्ण धनराशि के उपभोग का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) द्वितीय त्रैमास हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव के साथ डिस्कॉम्स के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखों के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,25,00,00,000 (रुपये सोलह अरब पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2801051900600 रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-5-X-2026-27-दिनांक:13-4-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या-39/2026/001-311(1)-24-1-2026-51-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
विशेष सचिव।